25-9-18 वकील उभय पक्ष ... । पीठासीन अधिकारी...अवकाश पर... है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..15-10-18.......को पेश हो।

15-10-18 वकील प्रार्थी उपस्थित T. D.R श्रीगंगानगर से रिपोर्ट अपेक्षित पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट T. D.R दिनांक 18-12-18 को पेश हो

18-12-18 वकील प्रार्थी उपस्थित T. D.R श्रीगंगानगर से रिपोर्ट अपेक्षित पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 15-1-19 को पेश हो।

15.01.2019

वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं पैरोकार राज उपस्थिज पैरोकार राज द्वारा राज्य पक्ष की और से जबाब प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली किया गया पैरोकार राज द्वारा अपनें जबाब में कथन किया कि प्रार्थना पत्र को सिद्ध करनें का भार प्रार्थीया पर है राज्य हीत को मध्य नजर रखते हुए निर्णय पारित किया जाना उचित होगा।

प्रार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होनें पर वकील प्रार्थी को बार बार आवाज लगवाई गई बाद आवाज प्रार्थी/प्रार्थी के वकील उपस्थित नहीं आनें पर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण जीतोबाई, भीरू, गोगीरानी तथा छिन्दोबाई द्वारा अपनें नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु प्रार्थना पत्र पर समस्त प्रार्थीगण के हस्ताक्षर न होकर केवल मात्र जीतोबाई के ही हस्ताक्षर है तथा इसी प्रकार प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत भी भजनलाल टाक द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा में भी केवल मात्र एक ही प्रार्थीया जितोबाई के ही हस्ताक्षर है।

इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समस्त प्रार्थीगण के हस्ताक्षन नहीं होने से प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होनें के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर